



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229982
CG-DL-E-27092021-229982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]
No. 549]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 666(अ).—केंद्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति सलाहकार परिषद का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन:

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष - पदेन अध्यक्ष;

(2) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन:

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सभी सदस्य- पदेन सदस्य;

(3) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन (राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मनोनीत सदस्य):

क. राज्य के मनोनीत सदस्य

क्रम संख्यांक	राज्य का नाम	मनोनीत सदस्य के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	डॉ. पी. साई सुधाकर, प्रोफेसर, डॉ एनआरएस गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश;
2.	हरियाणा	डॉ. बलदेव कुमार, कुलपति, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय,

		कुरुक्षेत्र, हरियाणा;
3.	हिमाचल प्रदेश	प्राचार्य, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला, हिमाचल प्रदेश;
4.	मध्य प्रदेश	डॉ. सतीश चंद्र शर्मा, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय स्वायत्त अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश;
5.	पंजाब	डॉ. बालकृष्ण शर्मा कौशिक, कुलपति, गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होशियारपुर, पंजाब;
6.	राजस्थान	डॉ. अभिमन्यु कुमार, कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान;

ख. संघ राज्य क्षेत्र के मनोनीत सदस्य

क्रम संख्यांक	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मनोनीत सदस्य के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	दिल्ली	प्रो.एम.ए. जाफरी, कुलपति, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली;

(4) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन (भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य चिकित्सा परिषदों के मनोनीत सदस्य):

क. राज्य के मनोनीत सदस्य

क्रम संख्यांक	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	मनोनीत सदस्य के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय चिकित्सा बोर्ड, राजस्थान	डॉ. मनोहर पारीक, सदस्य;

(5) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के अधीन:

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य पदेन;

(6) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन:

निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के - सदस्य पदेन;

(7) धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन:

1. निदेशक, आईआईटी, दिल्ली;
2. निदेशक, आईआईटी, गुवाहाटी;
3. निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड;
4. निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर।

[फा.सं. वाई.18011/11/2021-ईपी (III)]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2021

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby constitutes the Advisory Council for Indian System of Medicine, consisting of the following members, namely:-

(1) Under clause (a) of sub-section (2) of section 11:

Chairperson of the National Commission for Indian System of Medicine -*ex officio* Chairperson;

(2) Under clause (b) of sub-section (2) of section 11:

All members of the National Commission for Indian System of Medicine - *ex officio* members;

(3) Under clause (c) of sub-section (2) of section 11 (nominees of the State and union territories):

A. Nominees of the State

Serial number	Name of State	Details of the nominated member
(1)	(2)	(3)
1.	Andhra Pradesh	Dr. P. Sai Sudhakar, Professor, Dr. NRS Govt. Ayurvedic College, Vijayawada, Andhra Pradesh;
2.	Haryana	Dr. Baldev Kumar, Vice-chancellor, Shri Krishna Ayush University, Kurukshetra, Haryana;
3.	Himachal Pradesh	Principal, Rajiv Gandhi Govt. PG Ayurvedic College, Paprola, Himachal Pradesh;
4.	Madhya Pradesh	Dr. Satish Chandra Sharma, Principal-in-Charge, Govt. Autonomous Ashtang Ayurveda Mahavidyalaya, Indore, Madhya Pradesh;
5.	Punjab	Dr. Balkrishna Sharma Kaushik, Vice-chancellor, Guru Ravidas Ayurved University, Hoshiyarpur, Punjab;
6.	Rajasthan	Dr. Abhimanyu Kumar, Vice-chancellor, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda university, Jodhpur, Rajasthan;

B. Nominees of Union Territories

Serial number	Name of Union Territories	Details of the nominated member
(1)	(2)	(3)
1.	Delhi	Prof. M.A. Jafri, Vice-chancellor, Jamia Hamdard University, New Delhi;

(4) Under clause (d) of sub-section (2) of section 11 (nominees of State Medical Councils of Indian System of Medicine):

A. Nominees of the State

Serial number	Name of State Medical Council	Details of the nominated member
(1)	(2)	(3)
1.	Board of Indian Medicine, Rajasthan	Dr. Manohar Pareek, Member;

(5) Under clause (e) of sub-section (2) of section 11:

Chairman, University Grants Commission-member *ex-officio*;

(6) Under clause (f) of sub-section (2) of section 11:

Director, National Assessment and Accreditation Council-member *ex-officio*;

(7) Under clause (g) of sub-section (2) of section 11:

1. Director, IIT, Delhi;
2. Director, IIT, Guwahati;
3. Director, Indian Institute of Management, Kozhikode;
4. Director, Indian Institute of Science, Bangalore.

[F. No. Y.18011/11/2021-EP(III)]

KAVITA GARG, Jt. Secy.